



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-5/ई-1/2025
दिनांक: 28.07.2025

सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा — 2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:— 28.07.2025

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि:— 28.08.2025

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि:— 04.09.2025

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
(c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन-लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु 'इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'आन-लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :-

- (i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं० / ई-मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

- (ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट प्रिन्टर आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण:- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमेसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई,डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस व आगामी समस्त

चयनों/परीक्षाओं से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा० आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क :- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	परीक्षा शुल्क रु. 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 125/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	परीक्षा शुल्क रु. 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 65/-
(iii) दिव्यांगजन	परीक्षा शुल्क रु. शून्य + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	परीक्षा शुल्क रु. 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ०प्र० लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) मुख्य (लिखित) परीक्षा-2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उ०प्र० के जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी।

4. रिक्तियों की संख्या:- वर्तमान में सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) परीक्षा - 2025 के अन्तर्गत चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या - 7466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अन्तर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियाँ और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। विषयवार/आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

नोट:- रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

पद की प्रकृति- समूह "ग" अराजपत्रित, वेतनमान- 44900 - 142,400/- ग्रेड वेतन- 4600, लेबल-7

5. आरक्षण :- उ०प्र० की अनुसूचित जातियों/उ०प्र० की अनुसूचित जनजातियों/उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों/उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा- उ०प्र० के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ०प्र० के भूतपूर्व सैनिकों/उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों और उ०प्र० के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:- (1) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

2. शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो

उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

5. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होगी।

6. आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

7. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

8. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

9. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें:- (केवल आयु में छूट हेतु):- आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या- 22/10/1976 – कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-
(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।
(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि
(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो।
(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं
(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेय्यूटी प्रदान की गई हो।

7. वैवाहिक प्रास्थिति :- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. शैक्षिक अर्हतायें (विषयवार):-
(1) राजकीय विद्यालयों के पदों हेतु:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिये। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत् निर्धारित हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं
1.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) हिन्दी	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में हिन्दी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद् से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
2.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) अंग्रेजी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
3.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) गणित	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
4.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
5.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) सामाजिक विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
6.	Assistant Teacher (Male/Female) Computer	(1) B.Tech./B.E. (Computer Science) from a University/Deemed University/Institution established by law in India. OR Graduate in Computer Science OR Graduate in Computer Application OR Graduation degree along with 'A' Level course from NIELIT OR B.Tech. (Graduation in Computer Science) and MCA (Post Graduation in Computer Science) (2) Degree of Graduation in Education (B.Ed.) in a course recognized by NCTE in India as preferential qualification.
7.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) उर्दू	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
8.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) जीव विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से विषयों के रूप में जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
9.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) संस्कृत	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
10.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) कला	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0) की उपाधि। अथवा (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से ललितकला (बी0एफ0ए0) में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
11.	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) संगीत	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ मातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर। टिप्पणी- संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

12. सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) वाणिज्य

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।
(2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0)की उपाधि।

13. सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) शारीरिक शिक्षा

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि।
(2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बी0पी0एड0 अथवा बी0पी0ई0।

14. सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) गृह विज्ञान

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि।
(2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

15. सहायक अध्यापक (पुरुष) कृषि/उद्यानकर्म

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से कृषि/उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि।
(2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0)की उपाधि।

नोट:- सहायक अध्यापक (कृषि) पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही है।

अधिमानी अर्हता:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-
(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,
या
(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत पदों हेतु:-
(i) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता-
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि।
(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (क्षीण दृष्टि) में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 की उपाधि।
(तीन) ब्रेल पद्धति में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।
(चार) क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन के लिये विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।
(ii) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (संकेत मूक बधिर विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता-
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि।
(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (श्रवण क्षीणता) में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से श्रवण क्षीणता अध्यापन में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 की उपाधि।
(तीन) सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।
(चार) श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिये विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।
(iii) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता-
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि।
(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 की उपाधि।
(तीन) चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।
अधिमानी अर्हता:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-
(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,
या
(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(1) उपर्युक्त वर्णित पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ

● उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 (यथासंशोधित)

● उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 (यथासंशोधित)

9. आयु सीमा:- (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

10. सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) की मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें:-
(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹0 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/-, योग ₹0 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹0 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग ₹0 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ₹0 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग ₹0 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट- सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) की परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर/प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा

चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओ0टी0आर0 नं0, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे।

(10) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(11) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही-सही भरें जो स्कैन मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोला को काला करके दी गयी सूचना के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर व्हाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(13) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति- गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति-हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति-नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति-नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(14) प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी -1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपयुक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(15) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारंभिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारंभिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(16) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(18) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तोंक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वी-1-15-1(का)14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1, परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट-2, परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 तथा पदों का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate's personnel details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:-NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

•All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

•Candidate Registration

•Fee Deposition /Reconciliation

•Submit Application Form

•Modify Submitted Application

•Candidate Dashboard (OTR Based)

:-CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

•Double Verification mode

•View Application Status

•Download Admit Card

•Print Duplicate Registration Slip

•Print Detailed Application Form

•List of Applications Having Any Objections

•View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1	
उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।	
श्री/श्रीमती/कुमारी	तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
तहसील	नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान	हस्ताक्षर.....
दिनांक	पूरा नाम.....
मुहर	पद नाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।	

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।	
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।	
श्री/श्रीमती/कुमारी	तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
तहसील	नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	पूरा नाम
मुहर	पद नाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।	

(प्रपत्र-I)	
उत्तर प्रदेश सरकार	
कार्यालय का नाम	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र	
प्रमाण-पत्र संख्या-	दिनांक-
वित्तीय वर्ष के लिए मान्य	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिनकोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-	
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।	
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।	
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।	
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।	
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।	
आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ	हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र	
मैं	पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा
..... पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला	 राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-
1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति,	

दिनांक:-

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/
Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose
photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____
Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been
evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be
specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)@ e.g. Left/right/both arms/legs# e.g. Single eye/both eyes£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member

Name and Seal of Member

Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम मुहर जिलाधिकारी सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

प्रारूप - 1

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम पद संस्था का नाम..... मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम पद संस्था का नाम पता मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा ईंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम पद संस्था का नाम

मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या ईंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-2

(1) सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) की परीक्षा योजना

प्रथम चरण- प्रारम्भिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन/वैकल्पिक (मुख्य) विषय

परीक्षा योजना

सामान्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठपरक)

01-प्रश्नपत्र - एक

02-प्रश्नों की संख्या - 150 (सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न)

03-कुल अंक - 300 (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक)

04-समयावधि - 2:00 घण्टा

नोट :- (i) उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठपरक) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा (परम्परागत) में सम्मिलित हो सकेंगे।

(ii) सहायक अध्यापक, सामाजिक विज्ञान (पुरुष/ महिला शाखा) पद हेतु मुख्य विषय में 04 (चार) खण्ड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खण्ड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त चार खण्डों में से किन्हीं 02 खण्डों का चयन करके उत्तर देना होगा।

द्वितीय चरण- मुख्य परीक्षा

वैकल्पिक (मुख्य) विषय

परीक्षा योजना

मुख्य परीक्षा (परम्परागत)

01-प्रश्न पत्र - एक

02-प्रश्नों की संख्या - 20 (10+10)

03-कुल अंक - 200 (80+120)

04-समयावधि - 3:00 घण्टा

परीक्षा योजना - उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक (मुख्य) विषयों के प्रश्नपत्रों की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

मुख्य परीक्षा के प्रश्न- पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे दो खण्डों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खण्डवार निम्नवत् होगी :-

खण्ड - अ- के अन्तर्गत 10 प्रश्न, लघुउत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 08 अंक का होगा।

खण्ड -ब- के अन्तर्गत 10 प्रश्न, दीर्घउत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा।

(2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक पद की परीक्षा योजना

(i) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय)

परीक्षा-योजना

प्रथम चरण-प्रारम्भिक परीक्षा

प्रश्नपत्र की संख्या - (01) एक

प्रश्नपत्र का प्रकार - वस्तुनिष्ठ प्रकारक

प्रश्नों की संख्या - 150 (सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न)

प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक - 2.00 (दो) अंक

निर्धारित कुल अंक - 300 (तीन सौ)

समयावधि - 02:00 (दो) घंटा

द्वितीय चरण-मुख्य (लिखित) परीक्षा (परम्परागत)

प्रथम प्रश्नपत्र

प्रश्नों की संख्या - 20 (10+10)

कुल अंक - 200 (80+120)

समयावधि - 03:00 (तीन) घंटा

संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंको का विभाजन निम्नवत् है:-

1- मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे दो खण्डों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खण्डवार निम्नवत् होंगे:-

खण्ड 'अ' के अन्तर्गत 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 125) एवं प्रत्येक प्रश्न 08 अंक का होगा।

खण्ड 'ब' के अन्तर्गत 10 प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 200) एवं प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा।

द्वितीय प्रश्नपत्र

विशिष्ट अर्हता - ब्रेल लिपि-ब्रेल लिपि (पद्धति)।

निर्धारित कुल अंक - 100 (सौ)

समयावधि - 02:00 (दो) घण्टा

(ii) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (संकेत मूक बधिर विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय)

परीक्षा-योजना

प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा

प्रश्नपत्र की संख्या - (01) एक

प्रश्नपत्र का प्रकार - वस्तुनिष्ठ प्रकारक

प्रश्नों की संख्या - 150 (सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न)

प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक - 2.00 (दो) अंक

निर्धारित कुल अंक - 300 (तीन सौ)

समयावधि - 02:00 (दो) घंटा

Page- 5

द्वितीय चरण—मुख्य (लिखित) परीक्षा (परम्परागत)		
प्रथम प्रश्नपत्र		
प्रश्नों की संख्या	—	20 (10+10)
कुल अंक	—	200 (80+120)
समयावधि	—	03:00 (तीन) घण्टा
संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् है:—		
1— मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे दो खण्डों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खण्डवार निम्नवत् होंगे:—		
खण्ड ‘अ’ के अन्तर्गत 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 125) एवं प्रत्येक प्रश्न 08 अंक का होगा।		
खण्ड ‘ब’ के अन्तर्गत 10 प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय (उत्तर की शब्द सीमा 200) एवं प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा।		
द्वितीय प्रश्नपत्र		
विशिष्ट अर्हता	—	सांकेतिक भाषा।
निर्धारित कुल अंक	—	100 (सौ)
समयावधि	—	02:00 (दो) घण्टा
(iii) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)/ विशिष्ट अध्यापक (प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय/ समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय)		
परीक्षा योजना		
प्रथम चरण—प्रारम्भिक परीक्षा		
प्रश्नपत्र की संख्या	—	(01) एक
प्रश्नपत्र का प्रकार	—	वस्तुनिष्ठ प्रकारक
प्रश्नों की संख्या	—	150 (सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न)
प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक	—	2.00 (दो) अंक
निर्धारित कुल अंक	—	300 (तीन सौ)
समयावधि	—	02:00 (दो) घंटा
द्वितीय चरण—मुख्य (लिखित) परीक्षा (परम्परागत)		
प्रश्नपत्र	—	01(एक)
प्रश्नों की संख्या	—	20 (10+10)
कुल अंक	—	200 (80+120)
समयावधि	—	03:00 (तीन) घण्टा
संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् है।—		
1— मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे दो खण्डों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खण्डवार निम्नवत् होंगे:—		
खण्ड ‘अ’ के अन्तर्गत 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 125) एवं प्रत्येक प्रश्न 08 अंक का होगा।		
खण्ड ‘ब’ के अन्तर्गत 10 प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 200) एवं प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा।		
ध्यातव्य है कि उक्त तीन प्रकार के पदों के पाठ्यक्रम ब्रेल लिपि (पद्धति)/सांकेतिक भाषा को छोड़कर शासन द्वारा अनुमोदित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) के अनुरूप रखा गया है।		
नोट:— प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट—3 में विषयवार मुद्रित पाठ्यक्रम उभयनिष्ठ रहेगा।		
परिशिष्ट—3		
(2) सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक पद हेतु विषयवार पाठ्यक्रम		
प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार		
पाठ्यक्रम		
सामाजिक विज्ञान		
(अ) भूगोल		
1— भूगोल— अर्थ एवं विषय क्षेत्र। 2— भौतिक भूगोल— सौर मण्डल परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति—कांट, लाप्लास जेम्स एवं जीन्स का सिद्धान्त, पृथ्वी का परिभ्रमण, चक्रमण एवं झुकाव और उनका प्रभाव, सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण, अक्षांश एवं देशान्तर, भौगोलिक संदर्भ प्रणाली एवं ज्योग्रफिक पोजीशनिंग सिस्टम, प्रधान मध्यान्ह रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। 3— स्थल मण्डल — पृथ्वी की आंतरिक संरचना— सियाल, सीमा एवं नीफे, चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताएं, ज्वालामुखी किया, ज्वालामुखी और उनका विश्व वितरण, भूकम्प उत्पत्ति एवं विवरण, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण — चतुष्फलक सिद्धान्त (लोथियन ग्रीन) और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धान्त (अल्फ्रेड वेगनर), पर्वतों का वर्गीकरण और पर्वत निर्माण कोबर का सिद्धान्त और प्लेट टेक्टानिक, पठार—विशेषताएं एवं वर्गीकरण, मैदान— उत्पत्ति एवं वर्गीकरण, अपक्षय और अपरदन, डेविस की अपरदन चक की संकल्पना एवं नवोन्मेष, नदी वायु एवं हिमनद के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। 4— वायुमण्डल — वायुमण्डल का संघटन एवं संरचना, सूर्यताप और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर वितरण, वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ और ग्रहीय पवनें, मानसून—वितरण एवं उत्पत्ति, वर्षण के स्वरूप और वर्षा के प्रकार, विश्व के जलवायविक प्रदेश थार्नथ्वेट और ट्रिवार्था। 5— जलमण्डल — महासागरीय नितल का उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान और लवणता, महासागरीय जल धारायें—उत्पत्ति एवं उनका प्रभाव, ज्वार भाटा—प्रकार और उनकी उत्पत्ति का न्यूटन और हेवेल का सिद्धांत। 6— जैवमण्डल— अर्थ एवं संकल्पना, परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, परिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैव मण्डल, जैव अनुक्रम — प्राथमिक एवं द्वितीयक, विश्व के प्रमुख जीवोम (बायोम)। 7— मानव भूगोल— अर्थ एवं विषय क्षेत्र हंटिंग्टन और ब्रूश, मानव—पर्यावरण अंतर्सम्बंध— निश्चयवाद, सम्भववाद और रूको एवं जाओ निश्चयवाद, जनसंख्या वृद्धि और विश्व वितरण, जनांकिकीय संक्रमण, मानव प्रजातियाँ—वितरण, विशिष्ट लक्षण और काकेशायड एवं मंगोलायड प्रजाति का वितरण, बुशमैन, एस्कीमो, खिरगीज, गद्दी, थारु और गोण्ड का निवास्य क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियाँ एवं समाज। 8— मानव अधिवास मानव अधिवास का अर्थ और उसके आधारभूत तत्व, अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अन्तर, भारत में नगरों का वर्ग—विभाजन, विकसित और विकासशील देशों में नगरीयकरण, विश्व के वृहद नगर (मेगासिटी) 9— आर्थिक भूगोल — आर्थिक भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक उत्पादन, चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय, कहवा और रबर का उत्पादन और विश्व वितरण, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन—कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बाक्साइट और गैर—परम्परागत ऊर्जा संसाधन, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक लौह—इस्पात, सूती, वस्त्रोद्योग, अल्यूमिनियम और तेल शोधन, औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख व्यापार मार्ग एवं पत्तन। 10— भारत का भूगोल— स्थिति, विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिन्द महासागर का आर्थिक और सामरिक महत्व, धरातलीय स्वरूप और अपवाह, वर्षा और इसका वितरण, वनस्पति, जलवायविक प्रदेश—कोपेन ट्रिवार्था एवं आर०एल० सिंह, वन संसाधन और निर्वनीकरण, कृषि उत्पादन, प्रगति और समस्याएं, कृषि में हरित, नीली, श्वेत, पीली और गोल कांति, गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय का उत्पादन और वितरण, कृषि प्रदेश— ओ० स्ताम्पा और बी०एल०सी० जान्सन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन— लौह अयस्क, कोयला और पेट्रोलियम का उत्पादन, वितरण एवं उपयोग, ऊर्जा संकट और गैर—परम्परागत ऊर्जा के स्रोत, लौह —इस्पात, सूती वस्त्र और सीमेन्ट उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण, पी०पी० करन द्वारा प्रस्तुत भारत—औद्योगिक प्रदेश, जनसंख्या—वृद्धि एवं वितरण, भारत की जनसंख्या नीति, नगरीकरण, रेल एवं सड़क परिवहन, विदेशी व्यापार, वृहद नगर (मेगा सिटी) और प्रमुख बन्दरगाह।		
(ब) इतिहास:		
1— भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। 2— सिन्धु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं:— (ए) नगर नियोजन हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो (बी) प्रस्तर मूर्तियों, मृणमयी मूर्तियाँ एवं मुहरें, (सी) धर्म। 3— पूर्व—वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। 4— जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, एवं शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं।		

5— मौर्यकाल:—

(ए) मौर्यों की उत्पत्ति **(बी)** चन्द्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, **(सी)** उसका शासन—प्रबन्ध तथा सार्वजनिक कार्य **(डी)** अशोक के अभिलेख **(इ)** अशोक का धम्म एवं धम्म प्रचार **(एफ)** उसके कल्याणकारी कार्य, **(जी)** अशोक का मूल्यांकन **(एच)** मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण।

6— गुप्तवंश का राजनीतिक इतिहास: (ए) चन्द्रगुप्त— I, **(बी)** समुद्रगुप्त, **(सी)** चन्द्रगुप्त— II, **(डी)** कुमारगुप्त— I तथा **(इ)** स्कन्दगुप्त, **(एफ)** हूण आक्रमण तथा उसका प्रभाव, **(जी)** गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण।

7— चोल काल:—

(ए) राजराज प्रथम की उपलब्धियाँ,

(बी) राजेन्द्र चोल प्रथम की उपलब्धियाँ,

(सी) स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली,

(डी) चोलकालीन कला एवं संस्कृति

8— विदेशी आक्रमण:—

(ए) अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव

(बी) गजनवी आक्रमण एवं उसका प्रभाव

(सी) मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव।

9— दिल्ली सल्तनत (राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास) कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, सैय्यद एवं लोदी वंश।

10— मुगल वंश (राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास) बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन।

11— बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठो का उदय एवं पतन, शिवाजी।

12— मध्यकालीन संस्कृति— धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आन्दोलन, कला एवं स्थापत्य, साहित्य।

13— मध्यकालीन समाज एवं अर्थ—व्यवस्था कृषि, उद्योग, व्यापार।

14— ईस्ट इण्डिया कम्पनी का विस्तार।

15— आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग—धन्धे, व्यापार।

16— आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास।

17— 1857 ई0 के विद्रोह के कारण, स्वरूप, परिणाम।

18— उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक—धार्मिक आन्दोलन।

19— राष्ट्रीय आन्दोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आन्दोलन।

20— राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गाँधी, तिलक, गोखले तथा सुभाष चन्द्र बोस का योगदान।

21— स्वतंत्रता की प्राप्ति किप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक।

22— स्वतंत्रता के बाद का भारत (सन् 1950 ई0 तक)।

(स) अर्थशास्त्र:

1— अर्थशास्त्र की प्रकृति:— अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, चुनाव की समस्या, व्यष्टि एवं समष्टि विश्लेषण, स्थैतिक एवं प्रवैगिक अध्ययन की विधियाँ, संतुलन का विचार।

2— उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग विश्लेषण:— उपभोक्ता का संतुलन, मार्शल का दृष्टिकोण, अनधिमान वक्र विश्लेषण (कीमत, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव), मांग का नियम, मांग व पूर्ति की लोच, प्रकार एवं माप, उपभोक्ता अतिरेक।

3— उत्पादन एवं जनसंख्या के सिद्धान्त:— उत्पादक का संतुलन, उत्पादन के नियम परिवर्तनशील अनुपात का नियम एवं पैमाना के प्रतिफल के नियम, लागत एवं आगम वक्रों का विश्लेषण, जनसंख्या के सिद्धान्त, माल्थस, अनुकूलतम जनसंख्या एवं जनांककीय संक्रमण सिद्धान्त।

4— बाजार की प्रकृति एवं विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण:— पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकार।

5— वितरण के सिद्धान्त:— वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त, पूर्ण व अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण, लगान के सिद्धान्त, प्रतिष्ठित एवं कीन्स का ब्याज सिद्धान्त, नाइट्, जे०के० मेहता, शुम्पीटर के लाभ सिद्धान्त।

6— मुद्रा, बैंकिंग तथा मुद्रा स्फीति एवं मौद्रिक नीति: मुद्रा का मूल्य निर्धारण— फिशर एवं कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, केन्स का बचत निवेश सिद्धान्त, केन्द्रीय बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य, साख सृजन एवं नियंत्रण, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा, मुद्रा—स्फीति की अवधारणाएं— प्रकार, नियंत्रण एवं नीति।

7— अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति: निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त, तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं शर्तें, स्वतंत्र व्यापार व संरक्षण, विनिमय दर निर्धारण के सिद्धान्त, भुगतान संतुलन: समस्या एवं निदान।

8— सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति:— सार्वजनिक बनाम निजी वस्तुएं, सार्वजनिक व्यय का महत्व एवं सिद्धान्त. कर की प्रकृति, प्रकार एवं करारोपण के सिद्धान्त, सार्वजनिक ऋण के प्रकार, उगाही एवं निर्माणन।

9— आर्थिक विकास:— आर्थिक प्रणालियां, बाजार बनाम राज्य, आर्थिक विकास का माप तथा इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सूचकांकों का प्रयोग, आर्थिक विकास में बचत एवं पूंजी निर्माण का महत्व, आर्थिक विकास के सिद्धान्त रोस्टोव के आर्थिक समृद्धि के चरण, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास, प्रबल प्रयास सिद्धान्त तथा असंतुलित विकास का सिद्धान्त, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं:— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स देश आदि।

10— भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां: भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति एवं समीक्षा, नीति आयोग एवं आर्थिक नीतियां, भारतीय कृषि में उत्पादकता वृद्धि के प्रयास एवं नीति, भारत में गरीबी, बेरोजगारी एवं कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, भारत में जनसंख्या, लाभान्श, नगरीकरण एवं प्रवजन, औद्योगिक विकास की नवीन प्रवृत्तियां एवं नीतियां, भारत में राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबन्धन, केन्द्र—राज्य वित्तीय संबंध एवं संघीय सहकारिता, समावेशी विकास की चुनौतियां, भूमण्डलीकरण, आर्थिक विकास एवं वैश्विक व्यापार के विभिन्न आयाम।

(द) नागरिक शास्त्र

राजनीतिक सिद्धांत:

नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं क्षेत्र, परिभाषा: राज्य — परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति— दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार, संप्रभुता एवं बहुलवाद, कानून एवं दंड के सिद्धांत, संविधान— परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार—संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक, एकात्मक और संघात्मक, सरकार के अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, प्रजातंत्र एवं अधिनायकतंत्र, व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फासीवाद

राजनीतिक विचारक:

प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रूसो

जर्मी बेन्थम, जॉन स्टुअर्ट मिल

कार्ल मार्क्स

मनु, कौटिल्य, गाँधी

भारतीय शासन और राजनीति:

गोखले, तिलक, गाँधी, नेहरू, सुभाष और डा० भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं नीति—निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था: केन्द्र—राज्य सम्बन्ध, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, राज्य सरकार— राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं साम्प्रदायिकता, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार

भारतीय प्रशासन

नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन— जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त

भारतीय विदेश नीति

विदेशनीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान, नेपाल व श्री लंका से सम्बन्ध

पाठ्यक्रम

विषय—विज्ञान

(अ) भौतिकी —

सामान्य भौतिकी (यांत्रिकी)

इकाइयाँ और विमा, सदिश एवं अदिश राशियाँ, गुणनफल (स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स), प्रवणता, डाइवर्जैन्स और कर्ल, गौस, स्टोक प्रमेय और प्रयोग। गति, बल एवं त्वरण, गति के समीकरण, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, रेखीय एवं कोणीय संवेग। ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण, संरक्षी और असंरक्षी बल, घूर्णन गति, अपकेन्द्री तथा अभिकेन्द्री बल, गुरुत्वीय बल, केन्द्रीय बल, केंपलर के ग्रहीय गति के नियम, भूस्थिर उपग्रह, गुरुत्वीय त्वरण, पलायन वेग, सरल तथा यौगिक लोलक, जड़त्व आघूर्ण, समान्तर एवं लम्बवत अक्षीय प्रमेय, गोला, रिंग चक्रिका व बेलन के जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग

व बल आघूर्ण । धारा रेखीय एवं विक्षोभ प्रवाह, कान्तिक वेग, स्टोक एवं पायजली के सूत्र, बरनौली प्रमेय और उपयोग । पृष्ठ तनाव, द्रवों के वक्रतलों के अन्दर अतिरिक्त दाब, पृष्ठ ऊर्जा, केशिका में द्रव का प्रवाह । प्रत्यास्थता: प्रत्यास्थता गुणांक, उनमें आपसी संबंध, बेन्डिंग मोमेंट, कैन्टी लीवर। सापेक्षता का सिद्धान्त, लम्बाई, समय तथा द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता । उष्मा— उष्मा एवं ताप की संकल्पना, विभिन्न ताप मापन पैमाने, परमताप, ठोस, गैस और द्रवों के उष्मीय प्रसार, सुचालक और कुचालक, उष्मा का विकिरण, कृष्णिका विकिरण, रेलेजीन्स तथा वीन्स का नियम, प्लांक विकिरण फार्मूला, न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन नियम, आन्तरिक ऊर्जा, समतापी और रुदोषभ परिवर्तन, उष्मा गतिकी का प्रथम व द्वितीय नियम, कानों इंजन, एन्ट्रापी, मैक्सवेल के उष्मा गतिकी संबंध, जूल थामसन प्रभाव, क्लासियस—क्लेपिरान समीकरण । तरंग एवं दोलन — सरल आवर्त गति, प्रगामी, अप्रगामी तरंगे, कला व समूह वेग, अवमंदित आवर्तगति, प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद, अनुनाद तीव्रता, तरंगो का अध्यारोपण, विसपन्द तथा लिसाजूस आकृतियाँ, डाप्लर का प्रभाव । प्रकाशिकी — गोलीय दर्पण एवं लेन्स, अपवर्तनांक, फोकस दूरियों के सूत्र, समक्षीय निकाय, पतले लेंसो का संयोजन, नेत्रिका, रेम्सडन और हाइजीन्स नेत्रिकायें, लेंसो के वर्ण दोष, मानव की आँख, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की मूल अवधारणायें, बाइप्रिज्म, न्यूटनरिंग, फेसनल—फानहापर विवर्तन, रैलेकाइटेरियन, विभेदन क्षमता, जोन प्लेट तथा ग्रेटिंगो के कार्य सिद्धान्त, द्विअपवर्तन, समतल वृत्तीय तथा दीर्घ वृत्तीय ध्रुवण, चतुर्थांश एवं अर्द्धतरंग पट्टिका, लेसर की सामान्य अवधारणा, रूबी तथा हीलियम नियोन लेसर । विद्युत तथा चुम्बकत्व— प्राथमिक व द्वितीयक सेल, आन्तरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध एवं धारित्रों के संयोजन के नियम, धारा, अनुगमन वेग तथा चालकता, गैल्वनोमीटर, अमीटर एवं वोल्टमीटर, क्हीट स्टोन ब्रिज और प्रयोग, बायो सेवर्ट नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैंराडे और लेंज के नियम । स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, श्रेणी तथा समान्तर (LCR) परिपथ, प्रति—अनु—लौह चुम्बकत्व की प्रारम्भिक जानकारी, विद्युत चुम्बकीय मैक्सवेल समीकरण, विस्थापन धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे । आधुनिक भौतिकी— परमाणु की संरचना, परमाणु के वेक्टर तथा बोहर माडल, पाउली का अपवर्जन सिद्धान्त, प्रकाशी और एक्सरे स्पेक्ट्रा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्राम्पटन प्रभाव, जीमान, पाश्चेनबेक तथा रमन प्रभाव, डिब्राग्ली तरंग, अनिश्चतता का सिद्धान्त, श्रोडिंजर समीकरण, रेडियोधर्मिता, धातु, अर्द्धचालक और कुचालक, पी.एन. सन्धि, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर तथा इनके उपयोग । तार्किक द्वार, सत्य सारणी बूलियन बीजगणित । (ब) रसायन विज्ञान सामान्य कार्बनिक रसायन— अतिसंयुग्मन, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद एवं ऐरोमैटिकता तथा उनके अनुप्रयोग । अभिकर्मक— इलेक्ट्रानस्नेही, नाभिकस्नेही अभिकर्मक तथा अभिक्रिया मध्यवर्ती (कार्बधानायन, कार्बऋणायन, मुक्त मूलक, कार्बोन तथा बेन्जाईन) अभिक्रियाओं की कियाविधि— SN1, SN2, E1 और E2 अभिक्रियायें । एल्कीन तथा ऐल्काइन की इलेक्ट्रानस्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं । ऐल्कीनों की मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रियायें । कार्बोनिल यौगिकों की नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रियायें । ऐरोमैटिक इलेक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियायें— ArSe में आर्थो / मेटा / पैरा निर्देशक समूह तथा उनका संक्रियण तथा निष्क्रियण प्रभाव । एल्डोल, पर्किन, कैनिजारो, विटिंग, राइमर—टीमान, हॉफमान, नोवेनेगेल, माइकेल अभिक्रियायें एवं बेंज्वायन संघनन । कार्बोहाइड्रेट: केवल ग्लूकोस एवं फ्रक्टोस, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ओसेजोन का निर्माण, उपचयन एवं अपचयन । बहुलक— प्राकृतिक (स्टार्च, सेल्युलोस, रबर तथा सिल्क) एवं संश्लेषित बहुलक (नॉयलान, टेरिलीन, पॉलिथीन, पी0वी0सी0 और टेफ्लान) । समावयवता— संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयवता (एनैशियोमेरिज्म, डायार्स्टीरियोमेरिज्म, R/S तथा E/Z नामकरण) अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी— पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी— कोमोफोर (वर्णमूलक), आक्सोकोम (वर्णवर्धक), वर्णोत्कर्षी तथा वर्णोपकर्षी प्रभाव । λmax पर संयुग्मन तथा स्थायित्व का प्रभाव, वुडवर्ड—फीजर नियम से पॉलिईनों के λmax की गणना । इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी — विभिन्न कियासमूहों की अवशोषण आवृत्ति तथा μmax विभिन्न कारकों का प्रभाव । परमाणु की संरचना— बोहर मॉडल, क्वांटम संख्या तथा आधुनिक परमाणु सिद्धान्त । तत्त्वों के आवर्ती गुण— परमाणु एवं आयनिक त्रिज्यायें, आयनन विभव, इलेक्ट्रान बन्धुता तथा विद्युत ऋणात्मकता । जालक ऊर्जा तथा जलयोजन उर्जा एवं इनका आयनिक यौगिकों के विलेयता से सम्बन्ध । रसायनिक आबन्धन — वैद्युत, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक तथा हाइड्रोजन आबन्ध / अणुओं की आकृति । कोऑर्डिनेशन रसायन — 3डी ब्लाक के तत्व, संकुल यौगिकों का नामकरण, लिगेण्ड, (एक दन्ती, द्विदन्ती, बहुदन्ती), वर्नर का सिद्धान्त तथा संयोजकता आबन्ध सिद्धान्त । जैव— सक्रिय संकुल यौगिक (हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन बी—12, क्लोरोफिल) । अपचयन तथा उपचयन— आक्सीडेशन संख्या, रिडाक्स अभिक्रिया और अर्द्धसेल मानक विभव एवं अकार्बनिक रसायन में इसका अनुप्रयोग । रेडियो सक्रियता— प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, रेडियोसक्रिय क्षय, α, β और γ किरणों के गुण, अर्द्धआयु काल, नाभिकीय विखन्डन एवं नाभिकीय संलयन । रसायनिक वलगतिकी तथा उत्प्रेरण— अणुसंख्यता, अभिक्रिया की कोटि, शून्य, प्रथम तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं का उदाहरण । उत्प्रेरकी एवं एन्जाइमी अभिक्रियाओं के उदाहरण । उष्मागतिकी— उष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम, निकाय की एन्थैल्पी तथा स्थिर आयतन और दाब पर धारिता । Cp और Cv में सम्बन्ध । विस्तीर्ण और गहन गुण । रसायनिक साम्यावस्था— द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लीसातले का सिद्धान्त एवं इसका अनुप्रयोग, वियोजन—मात्रा, Kp और Kc में सम्बन्ध, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक । आयनिक साम्यावस्था— दुर्बल अम्ल एवं क्षारक का वियोजन (Ka और Kb), दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक तथा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से प्राप्त लवणों का जल अपघटन । विलेयता और विलेयता गुणफलन । जल का अपघटन स्थिरांक (Kw), बफर विलयन और उसका pH.	(ब) वनस्पति विज्ञान विषाणु— परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, टी०एम०वी० की संरचना, बैक्टिरियोफेज, बाइरायड्स, प्रियान्स, विषाणुओं के आर्थिक महत्व । जीवाणु — जीवाणु कोशा की संरचना, पोषण, प्रजनन और आर्थिक महत्व कवक— सामान्य लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व, वर्गीकरण (ऐलेक्सोपोलस और मिम्स), विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण । रायजोपस, पीथियम, एल्बूगो, एस्पेरजीलस, एगैरिकस, पक्सीनिया, अस्टीलागों एवं अल्टरनेरियां के संरचना और जीवनचक्र । शैवाल — सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, शैवाल वर्णक एवं शैवालों का आर्थिक महत्व । क्लैमाइडोमोनास, वालवाक्स, उडोगोनिया, वाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बैट्राकोस्पर्मम, पालीसाइफोनिया और नील हरित शैवाल (नास्टाक और एनाबिना) के संरचना और जीवनचक्र । लाइकेन — प्रकृति, प्रकार, संरचना, प्रजनन एवं आर्थिक महत्व ब्रायोफाइट्स— सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, प्रजनन और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व । रिकिसया, मारकेन्सिया, एन्थोसेरास और फ्यूनिरिया के संरचना और जीवनचक्र । टैरिडोफाइट्स— सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, रम्भीय तंत्र और टैरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व । लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्वीसीटम और मार्सिलया के संरचना और जीवनचक्र । हेट्रोस्पोरी एवं बीजीय स्वभाव । अनावृतबीजी— सामान्य लक्षण और सजातीयता, जीवन चक्र, वर्गीकरण विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, वितरण एवं आर्थिक महत्व साइकस, पाइनस एवं इफेड्रा के संरचना और जीवनचक्र । जीवाश्म विज्ञान — जीवाश्म, प्रकार, जीवाश्मीकरण, भू वैज्ञानिक समय सारणी एवं इसका महत्व । राइनिया का संरचना एवं प्रजनन । आवृतबीजी वार्णिकी — द्विनाम पद्धति, बेन्थम एवं हुकर का वर्गीकरण पद्धति, महत्वपूर्ण वनस्पतिक उद्यान और हरबेरिया । रेननकुलेसी, पापावरेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फैंबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपीएसी, एस्टरेसी, रूबीएसी, एपोसायनेसी, सोलोनेसी एकैंथेसी, लैमिएसी, यूफोब्रिएसी, लिलिएसी एवं पोएसी कुलों के विशिष्ट विशेषताएं । आवृतबीजी आन्तरिकी— ऊतक एवं ऊतक तंत्र, असामान्य द्वितीयक वृद्धि, जड़ एवं तनें की आन्तरिकी टिनोस्पोरा जड़, ड्रेसिना तना, बिगनोनिया तना, बोरहाविया तना और निक्टैन्थिस तना के आन्तरिक संरचना । आर्थिक वनस्पति विज्ञान— इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधीय पौधे, पेय, मसाले, पैदा करने वाले पौधे । श्रौणिकी— पुमंग की संरचना, लघु बीजाणुजनन और नर युग्मकोभिदी का विकास, बीजाण्ड की संरचना दीर्घ बीजाणुधानी का विकास, भ्रूणपोश का विकास एवं संगठन, परागण, प्रजनन, भ्रूण का विकास, पारथनोकार्पी, एपोमिकसिस एवं बहु भ्रूणता । कोशिका विज्ञान — पादप कोशिकीय संरचना और उसके विभिन्न कोशिकांगो का अध्ययन, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र । आनुवंशिकी— गुणसूत्र की संरचना, कोमोसोमल एबीरेसन आनुवंशिकता का नियम, जीन इन्टेक्शन, सहलग्नता, जीन विनियम, उत्परिवर्तन एवं पालीपोलाइडी । पादप शरीर क्रिया विज्ञान— जल का अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोसर्जन, खनिज लवण पोषण और कमी, प्रकाश संश्लेशण, श्वसन, पादप हारमोन्स, वर्नेलाइजेशन, बीजो का अंकुरण एवं संसुप्ता, नाइट्रोजन चक्र, दीप्त कालिता जैव रसायन विज्ञान— कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और एनजाइम्स का वर्गीकरण, गुण और जैविक महत्व पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान— पर्यावरणीय कारक, मृदा संरक्षण पौधो में परिस्थितिक अनुकूलन, परिस्थितिक पिरेमिड्स, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्यजाल पारिस्थितिकीतंत्र, पादप अनुक्रमण, प्रदूषण, पादप समुदाय और जैव विविधता, इनसीटू और एक्ससीटू संरक्षण । पादप रोग विज्ञान — जीवाणु, कवक और विषाणु जनित रोगों का सामान्य लक्षण । पादप रोगों के नियंत्रण के विभिन्न प्राविधियाँ । आलू का पीछेती झुलसा, आलू का अगैति झुलसा, कुरुसीफेरी का व्हाइट— रस्ट गेहूँ का किट्ट रोग, गेहूँ का लूजस्मट, सिट्रस कैंकर, बैंगन का लिटिल लीफ्स और मिन्डी का एलो वेन मूजैक बिमारियों के लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण । जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक अभियंत्रिकी— मानव कल्याण में महत्व, वेक्टर रिकामबिनेन्ट डीएनए तकनीक, परजीनी पौधे टिश् कल्चर, बायोपेस्टीसाइड्स और जैव उर्वरक । आणविक जैव विज्ञान — जीन कन्सेप्ट, आनुवांशिक कूट, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का विखण्डन, जीन एक्प्रेशन एवं रेग्जुलेशन ।
पाठयक्रम विषय — जीव विज्ञान (अ)— जन्तु विज्ञान 1— वर्गीकरण के सिद्धान्त, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति 2— निम्नलिखित संघो का वर्गीकरण तथा विशिष्ट लक्षण: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एक्कहेलमिन्थेस, ऐनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडरमेटा तथा कॉर्डेटा 3— निम्नलिखित संघो के प्रतिनिधियों की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र: (i) प्रोटोजोआ—एन्टअमीबा, युग्लिना, प्लाजमोडियम एवं पैरामिशियम (ii) पोरीफेरा ल्यूकोसोलेनिया एवं साइर्कोन (iii) निडेरिया— हाइड्रा, ओरेलिया एवं ओबेलिया (iv) टीनोफोरा—प्ल्यूरोब्रेकिया (v) प्लेटीहेलमिन्थेस—फैसिओला एवं टीनिया (vi) एस्कहेलमिन्थेस— ऐसकैरिस (vii) ऐनेलिडा—नेरिस, फेरिटिमा एवं हिरुडिनेरिया (viii) आर्थ्रोपोडा—कॉकरोच, मस्का, मच्छर एवं प्रॉन (ix) मोलस्का—युनिओ एवं पाइला (x) इकाइनोडरमेटा—तारा मछली तथा (xi) कॉर्डेट—हर्डमानिया, एम्फियॉक्सस, स्कोलियोडॉन, राना, युरोमेस्ट्रिक्स, कोलम्बा एवं खरगोश । 4— निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान:— (i) प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग, (ii) निडेरिया में बहुरूपता (iii) हेलमिन्थेस तथा रोग (iv) हानिकारक और लाभप्रद कीट (v) विषैले तथा विषहीन सांप (vi) स्तनधारियों का आर्थिक महत्व । 5— प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, जन्तु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, कोशिकांगो के कार्य, गुणसूत्र के प्रकार, जीन की संरचना तथा आनुवंशिक कूट, समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन । 6— मेन्डेल के वंशागति के नियम, सहलग्नता एवं जीन विनियम, सुजननिकी, जैव विकास, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लेमार्कवाद, निओ—लेमार्कवाद, डार्विनवाद, निओ—डार्विनवाद, विकास की क्रिया विधि, उत्परिवर्तन, कालांतर में विकास, मानव का विकास । 7— पारिस्थितिकी — पारिस्थिति तन्त्र के अवयव तथा प्रमुख पारिस्थिति तन्त्र, पर्यावरणीय प्रदूषण । 8— निम्न का प्रारंभिक ज्ञान:— (i) पाचन क्रिया (ii) श्वसन क्रिया (iii) रुधिर एवं परिसंचरण (iv) उत्सर्जन (v) तंत्रिकीय संचारण (vi) मांसपेशी में संकुचन (vii) अन्तःस्त्रावी ग्रंथि तथा उनके कार्य । 9— निम्नलिखित की विशेषता तथा वर्गीकरण:— (i) कार्बोहाइड्रेट्स (ii) प्रोटीन्स (iii) वसा (iv) एंजाइम तथा (v) हार्मोस 10— युग्मक—जनन, डिम्ब के प्रकार और विदलन, एम्फियॉक्सस, मेंढक एवं कुक्कुट का भ्रूणीय परिवर्धन, स्तनियों में अपरा 11— जैवभूगोल, प्राणिभौगोलिक परिमंडल एवं उनके विशिष्ट प्राणी	पाठयक्रम विषय—गणित 1—बीजगणित समीकरण सिद्धान्त, समान्तर गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणियाँ, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकीय एवं लघुगणकीय श्रेणियाँ । समुच्चय का बीजगणित संबंध एवं फलन, संबंधो के प्रकार, तुल्यता संबंध, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन, प्रतिलोम फलन, समुच्चय पर द्विआधारी संक्रियायें, समूह, उपसमूह, प्रासामान्य समूह, आंशिक समूह, चकीय समूह, समूह के अवयव की कोटि, क्रमचय समूह, सम एवं विषम क्रमचय, लाग्रांज प्रमेय और इसके परिणाम, समूह समाकारिता । सारणिक, आव्यूह के प्रकार, आव्यूहों पर बीजगणितीय संक्रियायें, सममित एवं विषम सममित आव्यूह, हर्मिटीय एवं विषम हर्मिटीय आव्यूह, आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह की जाति, आव्यूह का रेखीय समीकरणों के निकाय को हल करने में अनुप्रयोग, आव्यूह के आईगेनमान एवं आईगेन सदिश, कैले हैमिल्टन प्रमेय और इसके अनुप्रयोग । 2— वास्तविक विश्लेषण वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, परिबद्ध एवं एकदिष्ट अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम, धनात्मक पदों की श्रेणियों का अभिसरण, तुलनात्मक परीक्षण, काशी का nवां मूल परीक्षण, अनुपात परीक्षण, रबे परीक्षण, लघुगणकीय और द मार्गन एवं बर्टेण्ड परीक्षण, एकान्तर श्रेणी एवं लैबनिट्ज परीक्षण । 3— सदिश विश्लेषण सदिशों पर संक्रियायें, दो और तीन सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणन और उनके अनुप्रयोग, सदिश अवकलन, ग्रेडियन्ट, डार्इवर्जेन्स एवं कर्ल । 4— सम्मिश्र विश्लेषण सम्मिश्र संख्यायें, एक सम्मिश्र चर के फलन, द मायवर प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, ईर्काई के nवें मूल, एक सम्मिश्र फलन के चर घातांकी, सीधे एवं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय, हाईपरबोलिक एवं लघुगणकीय फलन, सम्मिश्र फलनों की सांत्यता एवं अवकलनीयता, काशी रीमान समीकरण, वैश्लेशिक फलन, प्रसंवादी फलन । 5— कलन फलन की सीमा, सांतत्यता एवं अवकलनीयता रोल का प्रमेय, लाग्रान्ज का मध्यमान प्रमेय, लापिताल नियम, उत्तरोत्तर अवकलन, स्पर्शी एवं अभिलम्ब, उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ, वर्धमान व ह्रासमान फलन, दो चरों के फलन की सीमा, सांतत्यता एवं अवकलनीयता, आंशिक अवकलन समाकलन की विधियाँ, निश्चित समाकल, वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, वक्र की लम्बाई, घूर्णन द्वारा बने ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को ज्ञात करने में समाकलन का अनुप्रयोग । प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकलन समीकरणों का हल । 6— ज्यामिति द्वितीय घात के व्यापक समीकरण तथा इसका रेखायुग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त एवं अतिपरवलय के रूप मे वर्गीकरण, अतिपरवलय के अनन्तस्पर्शी, मूल बिन्दु का विस्थापन एवं निर्देशांक अक्षों का घूर्णन, रेखा की दिक्कोज्यायें एवं दिक्अनुपात, समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, रेखा का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, समतलीय एवं असमतलीय रेखायें, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो समतलों के बीच, दो रेखाओं के बीच, एक रेखा एवं एक समतल के बीच के कोण, एक बिन्दु की एक समतल से दूरी, गोला, शंकु एवं बेलन । 7— सांख्यिकी एवं प्रायिकता बरंबारता बंटन, सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें, सामूहिक तथा असामूहिक आकड़ों के माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, प्रायिकता के योग एवं गुणन की प्रमेय । 8. संख्या पद्धति, बीजगणित का आधारभूत प्रमेय, त्रिभुज संबंधी प्रमेय, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति ।

पाठयक्रम विषय: — हिन्दी हिन्दी साहित्य का इतिहास— आदिकाल, भक्तिकाल—संत काव्य, सूफी काव्य, रामकाव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल — भारतेन्दु युग. द्विवेदी युग. छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता । हिन्दी गद्य साहित्य का विकास— निबन्ध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा—साहित्य, व्यंग्य । हिन्दी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ काव्य का स्वरूप, रस— अवयव, भेद, छन्द (दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरवै, छप्पय, हरिगीतिका, इन्द्रवज्जा, उपेन्द्रवज्रा, वंशस्थ, बसंततिलका, कवित्त, सवैया)— लक्षण और उदाहरण, अलंकार (अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्ति, अनन्वय) काव्यगुण, काव्य दोष । हिन्दी की विभाषाएं, बोलियाँ, हिन्दी की शब्द सम्पदा, हिन्दी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि—नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रयत्न । व्याकरण — कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं वाक्य—शुद्धीकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति । संस्कृत साहित्य: (क) संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं— कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, दण्डी. श्रीहर्ष, बाणभट्ट । (ख) सन्धि—स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप एवं धातु रूप, कारक प्रयोग । (ग) अनुवाद	पौधों द्वारा जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण । प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उत्स्वेदन का प्राथमिक ज्ञान । बीज के प्रकार तथा उनकी गुणवत्ता । सिंचाई जल के स्रोत एवं सिंचाई की विधियाँ । सिंचाई जल की गुणवत्ता । नमी संरक्षण । जल निकास के प्रकार—उसके लाभ एवं हानियां । पीडकनाशियों का वर्गीकरण, प्रमुख फलों, सब्जियों एवं खाद्यान फसलों, खरपतवार, कीट एवं रोगों का नियंत्रण । प्रक्षेत्र— यंत्र एवं उनकी देखभाल । कर्षण, अन्तरकर्षण तथा छिड़काव यन्त्र । गाय, भैंसो, भेड़ तथा बकरी की प्रमुख नस्लें । पशुप्रजनन की विधियाँ । पोषण के सिद्धान्त । निर्वाह तथा उत्पादन आहार । एन्थ्रेक्स, खुरपका एवं मुँहपका, रिंडरपेस्ट, थनैला तथा दुग्ध ज्वर का विवरण, लक्षण एवं उपचार । प्रक्षेत्र अभिलेख । खेतों का राजस्व अभिलेख, ग्रामीण एवं कृषि विकास की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम । कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा अन्य प्रसार संस्थाएं ।
पाठयक्रम विषय:— अंग्रेजी Section 1 English Language A. Unseen prose and poetry passages for language comprehension and appreciation B. Grammar: Punctuation, parts of speech, spellings, word formation and vocabulary, tense, Narration, Conditional sentences, Concord, Phrasal verbs and idiomatic expressions, transformation and synthesis C. Translation from English to Hindi and Hindi to English D. Letter writing and dialogue writing Section 2 Literatures in English A. Literary- Forms and Movements with special reference to allegory, ballad, ode, sonnet, blank verse, epic, mock epic, heroic couplet, lyric, elegy and other stanza forms, dramatic monologue, free verse and rhyme metre, Dramatic forms like tragedy, comedy, tragic-comedy, romance and One-act plays, Biography, autobiography, memoir and travel writing, Fictional forms, Different types of essays, Renaissance and Reformation, Neo-classicism, Metaphysical Poets, Romanticism, Pre-Raphaelites, Modernism, Impressionism, Expressionism and Surrealism understanding and identification of figures of speech. B. Poetry: Trends and movements in poetry in English with special reference to the following: Shakespeare's sonnets (Sonnet No _ 29: "When in disgrace with fortune and men's eyes" and Sonnet no. 138 "When my love swears that she is made of truth"), Milton's "On His Blindness" and Paradise Lost (bk 1, Il. 1-26), John Donne's "Canonization", Pope's Rape of the Lock(Canto I), Gray's "Elegy Written in a Country Churchyard", William Wordsworth's (a) "Tintern Abbey" and (b) "The World is too Much with Us", Percy B. Shelley's (a) "Ode to the West Wind" (b) "To .a Skylark", John Keats' (a) "Ode on a Grecian Urn" (b) "La Belle Dame sans Merci", Tennyson's (a) "Break, Break, Break" (b) "Ulysses", Robert Browning's (a) "My Last Duchess" (b) Prospice", Arnold's (a) "Dover Beach" (b)"Memorial Verses", W. B. Yeats' (a) "The Second Coming" (b) "Sailing to Byzantium", T. S. Eliot's "The Waste Land", W. H. Auden's "In Memory of. W. B. Yeats" Ted Hughes' "Crow Alights", Philip Larkin's "Wants", Whitman's "O Captain! My Captain!", Emily Dickinson's "Success is Counted Sweetest", Robert Frost's (a) "Birches" (b) "Stopping by the Woods", Rabindranath Tagore's From Gitanjali (11th, "Leave the Chanting' and 12th "Fruit Gathering"), Nissim Ezekiel's .(a) "Night of Scorpion" (b) "Philosophy", Kamala Das's "An Introduction", A K Ramanujan's "Obituary" and Derek Walcott's "A for Cry from Africa" C. Drama: Trends and movements in drama in English with special reference to the following: Shakespeare's Macbeth, Twelfth Night and Merchant of Venice, Ben Jonosn' Every Man in his Humour, Dryden's All for Love, Bernard Shaw's Arms and the Man, Galsworthy's Justice, Harold Pinter's The Birthday Party, Eugene O' Neill's The Hairy Ape, Arthur Miller's. All my Sons and Girish Karnad's Hayavadana. D. Prose and Fiction: Trends and movements in prose and fiction in English with special reference to the following: Francis Bacon's "Of Studies"" and "Of Truth", Addison's "Sir Roger at Home" "Will Wimble", Steele's "The Spectator Club" Lamb's "Dream Children", E V. Lucas' "Tight Corners", A. G. Gardiner's "In Defence of Ignorance", Bertrand Russell's "The Road to Happiness", Richard Wright's "Twelve Million Black Voices", Mahatma Gandhi's My Experiments with Truth, Jawaharlal Nehru's The Discovery of India, Maughm's "The Luncheon"; Anita Desai's "A Farewell Party" Katherine Mansfield's "The. Fly", O' Henry's "The Last Leaf" ; Fielding's Joseph Andrews, Jane Austen's Pride and Prejudice, Dickens' Great Expectations, Hardy's The Mayor of ,Casterbridge, George .Orwell's Animal Farm, Woolfs Mrs- DalloWay, Goldingus Lord of the Flies', Hawthorne's The Scarlet Letter, Hemingway's The Old Man and the Sea, Steinbeck's The Grapes of Wrath, Raja Rao's Kanthapura, R K Narayan's The Bachelor of Arts; Kamala' Markandeya's Two Virgins and Chinua Achebe's Things Fall Apart. 1. Post modern literature 2. Colonial literature 3. Post colonial literature 4. Indian writings in English	पाठयक्रम विषय:— संगणक डिजिटल तर्क और सर्किट और असतत गणितीय संरचनाएं:— संख्या प्रणाली, बूलियन बीजगणित और तर्कशास्त्र फाटक, बुलियन कार्यों का सरलीकरण, संयोजन सर्किट, अनुक्रमिक सर्किट, मेमोरी सर्किट, समुच्चय, संबंध और कार्य, गणितीय तर्क, बूलियन बीजगणित, संयोजक और पुनरावृत्ति संबंध, ग्राफ सिद्धान्त । कंम्प्यूटर संगठन और वास्तुकला:— संग्रहीत कार्यक्रम की अवधारणा, कंम्प्यूटर सिस्टम के घटक, मशीन अनुदेश, ऑपकोड और ऑपरैण्ड, निर्देश चक्र, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, यंत्रस्थ और माईक्रो प्रोग्राम नियंत्रण इकाई, सामान्य प्रयोजन और विशेष प्रयोजन रजिस्टर, मेमोरी संगठन, इनपुट संगठन, सीपीयू का कामकाज, निर्देश स्वरूप, निर्देश प्रकार, संबोधन प्रणाली, सामान्य माइक्रोप्रोसेसर निर्देश, बहु कोर वास्तुकला बहु प्रकमक और बहु संगणक । डेटा संरचनाएं और कलन विधि:— परिभाषा और प्रकार, रैखिक संरचना, गैर रेखीय संरचना, हैशिंग और टकराव रिजॉल्यूशन तकनीक, खोज और सॉर्टिंग एल्गोरिदम, विश्लेषण एल्गोरिदम की जटिलता, कार्य प्रदर्शन, माप की वृद्धि, उन्नत डेटा संरचना, लाल—काली वृक्ष, बी—वृक्ष द्विपदीय ढेर, फाइबोनैचि ढेर । डिजाइन तकनीक का परिचय विभाजित और जीत, लालची एल्गोरिदम, इष्टतम विश्वसनीयता आवंटन, बस्ता । न्यूनतम फैले हुए पेड़ प्रिम्स और कृस्कल एल्गोरिद्म, एकल स्रोत सबसे छोटा मार्ग—दिक्षेत्र और बेलमन फोर्ड एल्गोरिद्म, गतिशील प्रोग्रामिंग, बस्ता, सभी जोड़ी के सबसे छोटे पथ— वार्शल्स और फ्लॉइड के एल्गोरिद्म, संसाधन आवंटन समस्या, पृष्ठभाग संसाधन, शाखा और उदाहरण के साथ बकाया जैसे यात्रा विक्रेता समस्या, ग्राफ रंग, एन—रानी समस्या, हैमिल्टनियन चक्र और सबसेट का योग, बीजगणितीय गणना, फास्ट फुरियर ट्रांसफॉर्म, स्ट्रिंग मिलान, एनपी के सिद्धान्त पूर्णता, सन्निकटन एल्गोरिथ्म और याद्यच्छिक एल्गोरिदम ।
पाठयक्रम विषय—कृषि सस्य विज्ञान की परिभाषा, अवधारणा, विषय क्षेत्र एवं विकास । जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण । फसलोत्पादन पर पर्यावरणीय कारकों का दुष्प्रभाव । मौसम पूर्वानुमान । प्रमुख अनाज—दलहन, तिलहन, चारा, रेशा तथा नकदी फसलों की वैज्ञानिक खेती । उद्यान विज्ञान की अवधारणा, महत्व तथा विषय क्षेत्र, बागवानी तथा गृहवाटिका । उत्तर प्रदेश में प्रमुख फलों एवं सब्जी की वैज्ञानिक खेती । फल एवं सब्जी परिरक्षण के सिद्धान्त एवं विधियां । फल एवं सब्जियों के उत्पाद के खराब होने के कारण । मृदा की परिभाषा एवं निर्माण । मृदा के भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुणधर्म । उत्तर प्रदेश की मृदाएं । पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, खाद एवं उर्वरक । समस्याग्रस्त मृदाएं एवं उनके सुधार की विधियाँ । मृदा अपरदन कारण एवं नियंत्रण । मृदा परीक्षण ।	सिी प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्या हल करना:— मूल प्रोग्रामिंग अवधारणायें, सी प्रोग्रामिंग भाषा का परिचय और सी में प्रोग्रामिंग । वस्तु उन्मुख तकनीक:— वस्तु अभिविन्यास, कैप्सूलीकरण, जानकारी छिपाना, बहुरुपता, उदारता, वस्तु उन्मुख मॉडलिंग, यूएमएल, संरचनात्मक मॉडलिंग, व्यवहार मॉडलिंग और वास्तु मॉडलिंग, वस्तु उन्मुख विश्लेषण, वस्तु उन्मुख डिजाइन, वस्तु डिजाइन, संरचित विश्लेषण और संरचित डिजाइन, जैक्सन संरचित विकास, वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग शैली । जावा का परिचय, जावा बीन्स, उद्यम जावा बीन्स, जावा स्विंग, इंटरनेट प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जावा, कनेक्टिविटी मॉडल, जेडीबीसी / ओडीबीसी, पुल, सर्वलेटों का परिचय । ऑपरेटिंग सिस्टम:— परिभाषा, डिजाइन लक्ष्य, कमागत उन्नति, संरचना और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, समवर्ती प्रक्रियाएं, फाइल और माध्यमिक भंडारण प्रबंध, यूनिक्स और खोल प्रोग्रामन, विंडोज प्रोग्रामन । डेटाबेस प्रबंधन तंत्र:— डेटाबेस सिस्टम, डेटा मॉडल का दृश्य, डेटाबेस भाषाओं, डीबीएमएस वास्तुकला, डेटाबेस उपयोगकर्ता और डेटा स्वतंत्रता, ईआर मॉडलिंग, रिलेशनल मॉडल, एसक्यूएल से परिचय, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस सुरक्षा, लेनदेन प्रबंधन, प्रसस्करण और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, संगामिति नियंत्रण और पुनप्राप्ति तकनीकों का परिचय । कंम्प्यूटर नेटवर्क:— नेटवर्क परिभाषा, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क वर्गीकरण, नेटवर्क प्रोटोकॉल, स्तरित नेटवर्क वास्तुकला, ओएसआई संदर्भ मॉडल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, डेटा संचार मूल सिद्धांतों और तकनीकों, नेटवर्क स्विचिंग तकनीक और एक्सेस मैकेनिज्म, डेटा लिंक परत कार्यों और प्रोटोकॉल का अवलोकन, एकाधिक एक्सेस प्रोटोकॉल और नेटवर्क, नेटवर्क परत कार्य और प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शस और प्रोटोकॉल, एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल का अवलोकन । सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग:— परिभाषा, सॉफ्टवेयर विकास और जीवन चक्र मॉडल, सीएमएम, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता, मैट्रिक्स की भूमिका और मापन, आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश, सॉफ्टवेयर परियोजना की योजना, सॉफ्टवेयर वास्तुकला, सॉफ्टवेयर डिजाइन और कार्यान्वयन, सॉफ्टवेयर परीक्षण और विश्वसनीयता । इंटरनेट प्रौद्योगिकी, वेब डिजाइन और वेब प्राद्योगिकी:— इंटरनेट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट पर सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट पर मौजूदा रुझान, वेब प्रकाशन और ब्राउजिंग, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग मूल बातें, अन्तरक्रियाशीलता उपकरण, इंटरनेट सुरक्षा प्रबंधन अवधारणाएं, सूचना गोपनीयता और कॉपीराइट मुद्दे, वेब प्रौद्योगिकी: प्रोटोकॉल, विकास रणनीतियाँ, अनुप्रयोग, वेब प्रोजेक्ट और टीम वेब पेज डिजाइन, पटकथा, सर्वर साइट प्रोग्रामिंग ।
	पाठ्यक्रम विषय — कला खण्ड—1 चित्रकला के तत्व, मध्यम, तकनीक एवं संयोजन के सिद्धान्त (अ) चित्रकला के प्राचीन, पारम्परिक एवं आधुनिक माध्यम एवं विधियाँ । खण्ड—2 भारतीय एवं पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोण, परिभाषायें, विचारक, चिन्तक, कला के तत्व एवं कलाओं के अन्तर्सम्बन्ध (अ) भारतीय चित्र शङ्गण खण्ड—3 भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला:— विकास क्रम, शैलियों एवं क्षेत्र (अ) भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला:— विकास— क्रम, महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकार, छापाकार, विचारक एवं अवधारणायें ।

खण्ड—4 योरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला— विकास क्रम, शैलियाँ एवं क्षेत्र (अ) योरोप की आधुनिक कला— कला— संगठन, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, विचारक एवं अवधारणाएं । खण्ड—5 भारत के समसामयिक कला परिदृश्य, कलाकार, गतिविधियाँ एवं आधुनिक प्रयोग (अ) कला वाजार, कला समालोचना एवं कला वैचारिकी ।	(5) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनायें:— इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । (6) भारतीय कृषि:— भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी । (7) सामान्य विज्ञान:— सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे । (8) प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक:— अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित । अभ्युक्ति:— अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो ।
पाठयक्रम विषय — संगीत (अ) गायन कम्पन एवं आन्दोलन संख्या, नाद एवं उसके लक्षण, स्वर एवं श्रुतियों का अध्ययन, विभिन्न विद्वानों के मतानुसार श्रुति स्वर विभाजन— अहोबल, लोचन, श्रीनिवास, रामामात्य एवं भातखण्डे) व्यंकटमखी के 72 मेलों का अध्ययन, आधुनिक 32 थाटों का अध्ययन एवं भातखण्डे के 10 थाटों का अध्ययन, पं० श्रीनिवास के अनुसार— वीणा के 36 इंच तार पर शुध्द एवं विकृत स्वरों की स्थापना, सारणा चतुष्टयी का अध्ययन, नाद की संगीत उपयोगिता (स्वयंभू स्वर), जाति, राग, ग्राम, मुर्च्छेना का अध्ययन, संवाद विवाद, हार्मनी मेलोंडी, गुंज, प्रतिध्वनि, अनुररण, विभिन्न प्रकार के कॉर्ड्स, पाश्चात्य, स्वर लिपि पद्धति की विशेषताएँ एवं पं० भातखण्डे एवं पं० विष्णुदिगम्बर पुलस्कर की स्वर लिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, राग वर्गीकरण एवं वाद्य वर्गीकरण, उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, (राग एवं ताल के विशेष संदर्भ में) गायन के मुख्य घरानों का अध्ययन, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक संगीत का संक्षिप्त इतिहास, पारिभाषिक शब्द: वर्ण, अलंकार, पकड़, वकस्वर, कण, मुर्की, गमक, कम्पन, मीड, वादी—संवादी, झाला जोड़, अनुवादी विवादी, ग्रह, अंश, न्यास, गीत मार्गी, देशी निबद्ध—अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप, आलपित गान, अलपत्व—बहुत्व, आविर्भाव—तिरोभाव, अर्धदर्शक स्वर, राग एवं समय सिद्धान्त, सन्धि प्रकाश राग, पूर्व एवं उत्तर राग, परमेल प्रवेशक राग, गायकों एवं वादकों के गुण अवगुण, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना, चतुरंग, त्रिवट विभिन्न शैलियों का अध्ययन, विभिन्न ग्रन्थों का अध्ययन—1, नाट्य शास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर । प्रमुख कलाकारों की जीवनियाँ — जैसे स्वामी हरिदास, तानसेन, भातखण्डे, पं० विष्णुदिगम्बर पुलस्कर, अमीर खुसरो, पं० रविशंकर, ओमकार नाथ ठाकुर, निखिल बनर्जी । प्रमुख रागों का अध्ययन—कल्याण, भैरव, भैरवी, विलावल, तोड़ी, पूर्वी, आसावरी, देश, बागेश्री, मारवा, काफी, खमाज, इन सभी रागों का तुलनात्मक अध्ययन । (ब) वादन— विभिन्न वाद्यों का अध्ययन — तबला, सितार, तानपूरा, पखावज, सांरगी, गिटार, वायलिन, हारमोनियम । ताल के दस प्राण, वर्ण, लय एवं लयकारियों का अध्ययन । देशी एवं मार्गीताल, सम, विषम तालों का अध्ययन, पारिभाषिक शब्द—ताल, ताली, ठेका, सम, खाली, आवर्तन, विभाग पेशकारा, गत, कायदा, टुकड़ा, परन, परन के प्रकार, पलटा, रेला, पेशकारा, मुखड़ा, त्रिपल्ली, चौपल्ली, चकदारबोल, लग्गी— लड़ी, झाला, जोड़ कन्तन, जमजमा, मुर्की, वेदमदार — तिहाई, तबला वाद्य के अंग, मिलाने की विधि, विभिन्न बोलों द्वारा वाद्यों को पहचानना, ठेके के कुछ बोलों के आधार पर तालों को पहचानना, वाद्य का ऐतिहासिक विवरण, स्तुति के बोल, झुलना परन के बोल, नवहक्का विभिन्न जोड़ियों का अध्ययन, कायदा— पेशकार, त्रिपल्ली चौपल्ली, दमदार वेदमदार, तिहाई, फरमाइशी, कमाली, चकदार, तिहाई, गत—टुकड़ा, लयताल, रेला, विभिन्न तालों का अध्ययन— तीनताल, चारताल, एकताल, धमार, रूपक, कहरवा, आड़ाचारताल, दीपचंदी, गजझप्पा, तीव्रा, झुमरा, कर्नाटक पद्धति की सप्त तालों का अध्ययन— सितार, तबले के विभिन्न घरानें एवं बाज, विभिन्न कलाकारों की जीवनियों का अध्ययन— पं० सिधार खॉं, पं० कंठे महराज, पं० गुदई महाराज, पं० राम सहाय, कुदरु सिहं, उ० अल्लारख्खा खॉं, अहमद जान थिरकवा, नाना साहब पानसे, पं० भैरव सहाय, मणि लाल नाग, विलायतखॉं, इमदाद खॉं, अली अकबर खॉं ।	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षित स्नातक, सहायक अध्यापक पद हेतु द्वितीय चरण मुख्य (लिखित) परीक्षा (परम्परागत) के द्वितीय प्रश्नपत्र के पाठयक्रम— विषय—विशिष्ट शिक्षा—ब्रेल लिपि इकाई—1 - ब्रेल 6 डॉट्स पद्धति का ज्ञान । - ब्रेल की सप्त पंक्तिक पद्धति का विश्लेषण करने की क्षमता । इकाई—2 - हिन्दी और अंग्रेजी ब्रेल वर्णमाला का ज्ञान । विराम चिन्ह: कैपिटल साइन इंडिकेटर, इटैलिक्स साइन इंडिकेटर, कॉमा, फुल स्टाप, सेमी कोलन, कोलन, ब्रैकेट, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाइफन, डैश, दीर्घवृत्त, प्रश्न वाचक चिन्ह । - अंग्रेजी ब्रेल ग्रेड—II का ज्ञान (संकुचन, लघु रूप और संक्षिप्तीकरण) । इकाई—3 ब्रेल लिपि को लिखने के लिए उपकरणों का ज्ञान: ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, पॉकेट फ्रेम, ब्रेलर और पर्किन्स स्टाइल की—बोर्ड । कागज रहित ब्रेल: ब्रेल एम्बॉसर और डुप्लिकेटर, ब्रेल रूपांतरण सॉफ्टवेयर जैसे— डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेशन (डी.बी.टी.). ब्रेल नोट टेकर और रिफ़ेशेबल ब्रेल डिस्प्ले । इकाई—4 कम्प्यूटर ब्रेल का ज्ञान: कम्प्यूटर ब्रेल संकेतक, ब्रेल में ई—मेल आईडी लिखना, ब्रेल में वेब पता /यू.आर.एल. । ब्रेल में विज्ञान प्रतीकों का ज्ञान: सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, रेडिकल्स, ग्रीक अक्षर और लघुगणक, संदर्भ संकेत, निषेध संकेत, डिग्री, अनंत, अंग्रेजी अक्षर, मिश्रित आकार संकेत, स्थानिक व्यवस्था । इकाई—5 - गणितीय ब्रेल (अंकगणित और बीजगणित) का ज्ञान । - अंक । - संख्यात्मक सूचक, गणितीय अल्पविराम, गणितीय दशमलव बिन्दु, विराम चिन्ह सूचक । - गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह (जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग) । - कोष्ठक (छोटा, मंझला, बड़ा) । भिन्न: सरल भिन्न एवं मिश्र भिन्न । - माप । - रोमन अंक । - सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट । आकृति चिन्ह—मूल आकृति (कोण, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, बहुभुज) । विविध: (एट द रेट चिन्ह, चेक मार्क, डिट्रो मार्क, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, चूँकि, इसलिए) ।
पाठयक्रम विषय — शारीरिक शिक्षा 1— शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धान्त— शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, उद्देश्य एवं लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार, भारत और विश्व में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, ओलम्पिक राष्ट्रमण्डल, एशियन एवं एफ्रो एशियन खेल, भारत की महत्वपूर्ण खेल संस्थायें । 2— शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान— मनोविज्ञान की परिभाषा व महत्व, सीखना, सीखने के नियम एवं सीखने का स्थानान्तरण, सीखने का वक्र, सीखने के सिद्धान्त, विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं, बुद्धि का अर्थ और उसके प्रकार, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के सिद्धान्त, व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार, अभिप्रेरणा का अर्थ और प्रकार, खेल सिद्धान्त । 3— शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं पर्यवेक्षण— संगठन और पर्यवेक्षण का अर्थ और महत्व, बजट, प्रबन्धन के सिद्धान्त, नेतृत्व और इसके प्रकार, प्रतियोगिताएँ— नॉक आउट, लीग, सम्मिलित, चुनौती प्रतियोगिताएं, बाह्य एवं अन्तः सदन प्रतियोगिताएं, मनोरंजन का अर्थ और परिभाषा । मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य, शिविर का अर्थ, शिविर का उद्देश्य एवं लक्ष्य, शिविर के प्रकार । 4— शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना एवं शरीर किया विज्ञान— शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर किया विज्ञान का अर्थ, कोशिका और ऊतक, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःश्रावी ग्रन्थि संस्थान, संवेदी अंग, व्यायाम का विभिन्न तंत्रो पर प्रभाव । 5— शारीरिक शिक्षा में देह गति विज्ञान— गतिविज्ञान का अर्थ और परिभाषा, शरीर की आधारभूत गतियां, सन्धि की संरचना एवं प्रकार, न्यूटन के गति के नियम, उत्तोलक, संतुलन, गुरुत्वाकर्षण केन्द्र, बल, धुरी एवं तल । 6— खेल चिकित्सा एवं उपचार— शरीर मुद्रा का अर्थ और सामान्य विकृतियाँ, खेल चोटें, (सामान्य चोटें एवं उनका उपचार), उपचारिक व्यायाम एवं प्रक्रिया, मालिश और उसके प्रकार । 7—स्वास्थ्य शिक्षा— स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अर्थ, स्वास्थ्य के आयाम, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ लक्ष्य एवं सिद्धांत, संक्रामक रोग एवं उपचार, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता । 8— खेलों के सिद्धान्त एवं नियम— एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वालीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो—खो, बाक्सिंग, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हैण्डबाल, बैडमिन्टन, लॉन टेनिस, तैराकी, योग । 9— खेल प्रशिक्षण— खेल प्रशिक्षण का अर्थ, परिभाषा और खेल प्रशिक्षण के सिद्धान्त, अच्छे प्रशिक्षक एवं निर्णायक के गुण एवं दायित्व, शारीरिक दक्षता का अर्थ एवं घटक, भार और अनुकूलन, अधिक्षतिपूर्ति, अवधिकालीनता, प्रशिक्षण विधियाँ । 10— परीक्षण और मापन— परीक्षण और मापन का अर्थ, परिभाषा और महत्व, अच्छे परीक्षण के मानदण्ड, ऑहफर परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, फुटबॉल कौशल परीक्षण, हॉकी कौशल परीक्षण, बालीबॉल कौशल परीक्षण, लोचकता परीक्षण ।	विषय—विशिष्ट शिक्षा—सांकेतिक भाषा इकाई—1 भारतीय सांकेतिक भाषा का इतिहास: उत्पत्ति, विकास और अन्य बोली जाने वाली भाषाओं का भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ संबंध । - भारतीय सांकेतिक भाषा की विधायी स्थिति । - विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का परिचय । - बधिर संस्कृति और भाषाई पहचान के पहलू । इकाई—2 - संचार के तरीके । संचार की विधियाँ: मौखिकवाद, संपूर्ण संचार और शैक्षिक द्विभाषीवाद । - संचार की चुनौतियाँ । इकाई—3 भारतीय सांकेतिक भाषा की संरचना और व्याकरण - भारतीय सांकेतिक भाषा के नियमबद्ध और अनियमित घटक । - शब्द—स्तरीय संरचनाएँ । - वाक्य के प्रकार । - संकेतों का अर्थ । इकाई—4 भारतीय सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्तियाँ - अभिवादन शब्द - वर्णमाला एवं संख्याएँ - महीनों के नाम - रंगों के नाम - प्रश्न - फलों के नाम - भोजन - सब्जियों के नाम - स्टेशनरी - परिवहन के साधन - दैनिक दिनचर्या गतिविधियाँ इकाई—5 भारतीय सांकेतिक भाषा व्याकरण और उपयोग - भारतीय सांकेतिक भाषा सामग्री की खोज के लिए भाषा संसाधनों का उपयोग । - भारतीय सांकेतिक भाषा व्याकरण और उपयोग । - वाक्य के प्रकार: सरल कथन, प्रश्न, नकारात्मक । - लोगों और वस्तुओं का वर्णन करना (विशेषण और विलोम) । - सर्वनाम और रिश्तेदारी शब्द । - समय, संख्या और माप की अभिव्यक्ति । - क्रियाएँ और संकेत स्थान का उपयोग । - उपलब्धता (होना और न होना) ।

